हर घर जल
जल जीवन मिशन

कार्यालय अपर जिलाधिकारी

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, सोनभद्र।
Email-admngsonbhadra@gmail.com

शासन की शीर्ष प्राथमिकता

पत्रांक– 61 /अ0जि0–नमामिगंगे/2026–27 दिनांक– 20 .06.2026

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19.06.2026 को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित अपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में प्रदर्शित अपूर्ण योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पटवध, झीलो, हर्रा एवं अमवार पेयजल योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विशेष चर्चा की गई। जो निम्नवत् है :–

पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना–

योजना का निर्माण मेसर्स एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 643 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 618 ग्रामों में कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 483 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 29 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि योजना अंतर्गत समस्त ग्रामों में कमीशनिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण कराते हुए अवशेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर प्रत्येक लाभार्थी ग्राम तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर योजना को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाया जाए।

हर्रा–कदरा ग्राम समूह पेयजल योजना–

योजना का निर्माण मेसर्स वी0पी0आर0पी0एल0, जोधपुर द्वारा कराया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि हर्रा पेयजल योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 44 राजस्व ग्रामों कमिशनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 43 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है परियोजना प्रबन्धक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड–2 द्वारा कोन से विढंमगंज मार्ग पर बिछायी गयी 400 एम0एम0 पाइप लाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे 30 ग्रामों की जलापूर्ति प्रभावित हुई है तथाइ कदरा में शिल्पी से कोलिया घाटी (घोरावल मार्ग) पर डिस्ट्रिव्यूसन लाइन लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड द्वारा बनायी गयी रोड़ के अन्दर आ गयी है। जिससे शिल्पी ग्राम की कमीशनिंग प्रभावित हो रही है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि योजनांतर्गत (Road Widening) के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुए दिनांक 30 जून, 2026 तक समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। अधिशासी अभियन्ता, **लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड–2/प्रान्तीय खण्ड को निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त की गई पाइपलाइनों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कराया जाए।**

अमावर ग्राम समूह पेयजल योजना–

योजना का निर्माण मेसर्स एल0एण्डटी0, चेन्नई द्वारा कराया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 52 ग्रामों के सापेक्ष 16 ग्राम में कार्य पूर्ण कर लिया गया है शेष कार्य योजना के पार्ट–2 के अन्तर्गत कराया जाना शेष है।

जिलाधिकारी महोदय निर्देशित किया गया कि योजनांतर्गत फेज–1 के सभी ग्रामों में जलापूर्ति करते हुए फेज–2 के समस्त अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा ग्रामों में नियमित एवं सुचारु जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

Scanned with OKEN Scanner

झीलो–बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजना–

योजना का निर्माण मेसर्स जी0वी0पी0आर0, हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 171 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 153 ग्रामों में कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 136 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 104 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि योजनांतर्गत (Road Widening) के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुए दिनांक 30 जून, 2026 तक समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

अन्य निर्देश

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त की गई पेयजल पाइपलाइनों की मरम्मत का कार्य संबंधित विभाग द्वारा ही कराया जाएगा। इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त किए जाने पर जिलाधिकारी महोदय ने **स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस विभाग द्वारा पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया जाता है, उसकी मरम्मत कराने की जिम्मेदारी भी उसी विभाग की होगी।** उन्होंने यह भी अवगत कराया कि शासनादेश में भी उक्त व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख है, अतः सभी संबंधित विभाग शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए, जिससे जलापूर्ति प्रभावित न होने पाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
सोनभद्र।

20.06.26

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड/निर्माण खण्ड–2/प्रान्तीय खण्ड।
4. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सोनभद्र।
5. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रमीण), सोनभद्र।
6. समबन्धित कान्ट्रैक्टर फर्म जल जीवन मिशन, सोनभद्र।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
सोनभद्र।

Scanned with OKEN Scanner

झीलो–बीजपुर ग्राम समूह पेयजल योजना–

योजना का निर्माण मेसर्स जी0वी0पी0आर0, हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आच्छादित कुल 171 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 153 ग्रामों में कमिशनिंग पूर्ण करते हुये 136 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा 104 ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि योजनांतर्गत (Road Widening) के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुए दिनांक 30 जून, 2026 तक समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

अन्य निर्देश

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त की गई पेयजल पाइपलाइनों की मरम्मत का कार्य संबंधित विभाग द्वारा ही कराया जाएगा। इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त किए जाने पर जिलाधिकारी महोदय ने **स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस विभाग द्वारा पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया जाता है, उसकी मरम्मत कराने की जिम्मेदारी भी उसी विभाग की होगी।** उन्होंने यह भी अवगत कराया कि शासनादेश में भी उक्त व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख है, अतः सभी संबंधित विभाग शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए, जिससे जलापूर्ति प्रभावित न होने पाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
सोनभद्र।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड/निर्माण खण्ड–2/प्रान्तीय खण्ड।
4. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सोनभद्र।
5. अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रमीण), सोनभद्र।
6. समबन्धित कान्ट्रैक्टर फर्म जल जीवन मिशन, सोनभद्र।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
सोनभद्र।

20.06.26

Scanned with OKEN Scanner